104

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र.क. /16 विविध

मनोज सिंह चौहान पुत्र स्व0 श्री दीप सिंह चौहान, आयु–43 वर्ष, व्यवसाय– वकालत, निवासी– ग्राम उदगवां जिला दतिया म0प्र0

आवेदक

विरुद्ध

1. जानकी बाई पत्नी श्री बच्चीलाल निवासी– ग्राम उदगवां जिला दतिया म0प्र0।
2. कृष्णपाल सिंह पुत्र श्री मूरतसिंह, निवासी– ग्राम उदगवां जिला दतिया म0प्र0।
3. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर दतिया जिला दतिया म0प्र0----अनावेदक

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 35 सहपठित धारा 32 म0प्र0 भू राजस्व संहिता व खिलाफ आदेश दिनांक 05-09-16 द्वारा पारित श्री एम. के. सिंह सदस्य राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश जिसमें प्रार्थी का निगरानी आवेदन पत्र अदम पैरवी में निरस्त किया गया प्र.क्र. 456-I/09 निग

माननीय मण्डल,

प्रार्थी का आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

1. यहकि, आवेदक द्वारा निगरानी याचिका श्रीमान् न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। जो कि विधिवत दर्ज होकर अनावेदकगणकी उपस्थिति एवं मूल रिकार्ड हेतु नियत की गई।
2. यहकि, प्रकरण में मूल अभिलेख की प्रतीक्षा तथा अनावेदकगण की उपस्थिति हेतु नियत था। प्रकरण में दिनांक 05.09.2016 नियत की गई जो कि सुनवाई की तारीख नहीं थी क्योंकि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड की प्रतीक्षा में नियत था इस प्रकार उक्त तारीख पेशी को आवेदक की ओर से कोई सुनवाई नहीं की जाने थी ना ही सुनवाई हेतु कोई तारीख नियत थी।
3. यहकि, पूर्व तारीख पेशी को श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य कार्य में अवकाश पर होने से भी प्रकरण सुनवाई हेतु रीडर महोदय द्वारा नियत नहीं किया जा सकता था इसकारण भी प्रकरण को अदम पैरवी में निरस्त नहीं किया जा सकता था।
4. यहकि, दिनांक 05.09.2016 को गणेश चतुर्थी का पर्व होने से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कलेण्डर के मुताबिक उच्च न्यायालय एवं समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में सार्वजनिक अवकास

R.M.A.No. 9178-A/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों या अभिभावकों आदि के हस्ता.
04.10.16	आवेदक अधि. श्री बृजेन्द्रसिंह धाकड़ उपस्थित। उन्हें रेस्टोरेशन आवेदन पर सुना गया। विचारोपरांत रेस्टोरेशन आवेदन स्वीकार किया जाता है। मूल प्रकरण R.45663/09 पुनः सुनवाई हेतु स्थापित किया जाता है। यह प्रकरण समाप्त हो।	
	सदस्य	

शाक्षेमुग्वा—766—फॉर्म्स—23-3-13—10,000 प्रपत्र.